

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-

(पत्रांक-204/2024 दिनांक 22.07.2024)

दिनांक- 22.07.2024 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

नाबालिग 8 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को जनपद कुशीनगर पुलिस टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन, श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण तथा श्रीमान् क्षेत्राधिकारी खड्डा श्री उमेश चन्द भट्ट के नेतृत्व में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.07.2024 को थाना रामकोला पुलिस टीम द्वारा परोरहा नहर से 100 मीटर आगे कप्तानगंज वाले रोड के पास से मु0अ0सं0 297/2024 धारा 65(2) /115(2)/351(2) /137(2) /137(2) बी0एन0एस0 व 5एम /6 पाक्सो एक्ट थाना रामकोला जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित प्रकाश मे आये अभियुक्त प्रमोद साहनी पुत्र ज्ञान साहनी साकिन कुर्मी पट्टी मिश्रौली टोला थाना नेबुआ नौरगिया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना रामकोला जनपद कुशीनगर के एक ग्राम में दिनांक 12/13.7.2024 की रात्रि को एक 8 वर्षीय की नाबालिग लड़की के साथ गन्ने के खेत मे एक अज्ञात अभियुक्त द्वारा दुष्कर्म की घटना को अन्जाम दिया गया था। जो अपने ही गांव मे बगल मे शादी में गयी थी जहां से अज्ञात अभियुक्त द्वारा उसे बहला फुसलाकर 20 रूपये देकर टाफी देने का लालच देकर गन्ने के खेत मे मुंह दबाकर दुष्कर्म की घटना को अन्जाम दिया गया था। जिसके संबध मे पिडिता की मां के लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कर उसकी तलाश की जा रही थी। उस व्यक्ति की शिनाख्त शादी मे बने एक वीडियो के माध्यम से हुई जो बिना निमंत्रण के उस शादी मे गया हुआ था। जिसके द्वारा उक्त नाबालिग बालिका के साथ बहला फुसलाकर ले जाकर गन्ने के खेत मे दुष्कर्म किया गया था। उक्त प्रकाश मे आये अभियुक्त प्रमोद साहनी पुत्र ज्ञान साहनी साकिन कुर्मी पट्टी मिश्रौली टोला थाना नेबुआ नौरगिया जनपद कुशीनगर उम्र करीब 28 वर्ष की शिनाख्त व तस्दीक नाबालिग बालिका के द्वारा भी किया जा चुका है। अभियुक्त उपरोक्त को आज दिनांक 22.07.2024 को थाना रामकोला क्षेत्र के परोरहा नहर पुलिया के 100 मीटर आगे कप्तानगंज वाले रोड से गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस मे लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 297/2024 धारा 65(2) /115(2)/351(2) /137(2) /137(2) बी0एन0एस0 व 5एम /6 पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार वांछित अभियुक्त-

प्रमोद साहनी पुत्र ज्ञान साहनी साकिन कुर्मी पट्टी मिश्रौली टोला थाना नेबुआ नौरगिया जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 श्री विनय सिंह थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
2. नि0 श्री मनोज पंत प्रभारी साइबर थाना मय टीम जनपद कुशीनगर
3. व0उ0नि0 श्री सुभाषचन्द श्रीवत्स थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
4. स्वाट टीम प्रभारी उ0नि0 श्री आलोक कुमार जनपद कुशीनगर
5. उ0नि0 आकाश सिंह थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
6. उ0नि0 अमरजीत चौहान थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
7. उ0नि0 शिवम द्विवेदी थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
8. हे0का0 हिमान्शु सिंह थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
9. हे0का0 सनातन सिंह स्वाट टीम पडरौना जनपद कुशीनगर
10. हे0का0 संतोष सिंह स्वाट टीम पडरौना जनपद कुशीनगर
11. हे0का0 रणजीत यादव स्वाट टीम पडरौना जनपद कुशीनगर
12. हे0का0 राहुल सिंह स्वाट टीम पडरौना जनपद कुशीनगर
13. हे0का0 संदीप भाष्कर स्वाट टीम पडरौना जनपद कुशीनगर
14. का0 शिवानन्द सिंह स्वाट टीम पडरौना जनपद कुशीनगर
15. का0 ऋषिपटेल स्वाट टीम पडरौना जनपद कुशीनगर
16. का0 प्रदीप यादव थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
17. का0 मानवेन्द्र यादव थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
18. म0का0 सीता थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
19. म0का0 मोनिका सिंह भदौरिया थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

जनपद कुशीनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण, चोरी गये सामान व 01 लाख 54हजार रुपये नगद के साथ एक शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन, श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) कुशीनगर श्री अभिनव त्यागी के पर्यवेक्षण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी कसया श्री कुन्दन कुमार सिंह नेतृत्व में आज दिनांक 22.7.2024 को थाना अहिरौली बाजार, स्वाट व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 274/2024 धारा 331(4)/305ए बी0एन0एस0 व मु0अ0सं0 290/2024 धारा 457/380 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त जमालुद्दीन पुत्र रिसाद साकिन बेन्दुआर थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर को स्थानीय थाना क्षेत्र के ग्राम तिनहवा पुलिस स्थित श्मशान घाट के समीप से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई तथा उसके कब्जे से चोरी/नकबजनी के भिन्न भिन्न मुकदमों से सम्बन्धित माल 01 अदद अँगूठी पीली धातु, 02 अदद कान की बाली पीली धातु, 02 अदद झुमका पीली धातु, 01 अदद मंगलसूत्र लाकेट पीली धातु, 01 अदद लाकेट पीली धातु (ओम लिखा हुआ), 01 अदद चैन पीली धातु, 01 जोड़ी पायल सफेद धातु,

01 जोड़ी कड़ा सफेद धातु व 1,54,000 (एक लाख चौब्वन हजार रूपये नगद) तथा जामा तलाशी से 03 अदद मोबाइल, 01 अदद घटना में प्रयुक्त लोहा काटने वाली आरी, 01 छिनी, 01 अदद पेचकस की बरामदगी की गयी। बरामदगी माल के आधार पर मु0अ0सं0 274/2024 में धारा 317(2), 317(4) बीएनएस 2023 व मु0अ0सं0 290/2024 में धारा 411, 413 भादवि की बढ़ोत्तरी कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की जा रही है।

अपराध करने का तरीका-

अभि0 जमालुद्दीन का एक लम्बा अन्तर्जनपदीय चोरी का आपराधिक इतिहास है तथा इसके द्वारा जनपद गोरखपुर/लखनऊ व जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों में कई चोरी की घटना को अंजाम दिया है एवं पूर्व में जमालुद्दीन जनपद गोरखपुर के मुकदमे में अपनी पूरी सजा काटकर तीन वर्ष बाद जेल से बाहर आया अभियुक्त का एक लम्बा चौड़ा आपराधिक इतिहास है ज्यादातर चोरियां अकेले करता है और बताता है कि चुरायी गयी रकम में किसी अन्य को हिस्सा न देना पड़े इसलिए मैं अकेले चोरी करता हूं और चोरी की गोपनीयता भी बनी रह जाती है। अभि0 जमालुद्दीन उन घरों को चोरी का निशाना बनाता है जिन घरों में लोग ताला बन्द करके बाहर गये रहते हैं या मकान कई तल का हो तो जिस तल में लोग निवास करते हैं उसको छोड़कर दूसरे तल पर जहां सुनसान रहता है वहां चोरी करता है।

अभि0 जमालुद्दीन थाना क्षेत्र अहिरौली बाजार के ग्राम बेन्दुआर का निवासी है और काफी शातिर किस्म का है। अभि0 उपरोक्त आरी छिनी के साथ घरों में मेन दरवाजे को तोड़ देता है जिन घरों में कोई नहीं रहता है। चोरी करने व चोरी के सामान को ठिकाने लगाने में अपनी पल्सर मोटरसाइकिल वाहन रजि0नं0 UP 52 BF 2704 का इस्तेमाल करता है। अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि चोरी के सामान को नेपाल में बेचकर महंगी-महंगी मोबाइल फोन व मोटर साइकिल खरीदता है एवं नेपाल के कशीनों में जाकर जुआ खेलता था। जांच में यह भी पता चला है कि अभियुक्त का कमाई का अन्य कोई स्रोत नहीं है।

अनावरित/पंजीकृत अभियोग-

- 1- मु0अ0सं0 274/2024 धारा 331(4)/305ए/317(2)/317(4) बी0एन0एस0 थाना अहिरौली बाजार कुशीनगर
- 2- मु0अ0सं0 290/2024 धारा 457/380/411/413 भादवि थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

जमालुद्दीन पुत्र रिसाद साकिन बेन्दुआर थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0सं0 08/2015 धारा 457/380/411 भादवि थाना गोरखनाथ गोरखपुर
- 2- मु0अ0सं0 1224/2009 धारा 457/380/411 भादवि थाना तिवारीपुर गोरखपुर
- 3- मु0अ0सं0 347/2010 धारा 457/380/411 भादवि थाना हुसैनगंज लखनऊ
- 4- मु0अ0सं0 91/2012 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली गोरखपुर

- 5-मु0अ0सं0 99/2012 धारा 457/380/411 भादवि थाना वजीरगंज लखनऊ
 6-मु0अ0सं0 840/2016 धारा 380/411 भादवि थाना कैन्ट जनपद गोरखपुर
 7- मु0अ0सं0 97/2019 धारा 380/411/413 भादवि थाना राजघाट गोरखपुर
 8- मु0अं0सं0 35/2022 धारा 41/411/413 भादवि थाना हाटा जनपद कुशीनगर
 9- मु0अ0सं0 23/2024 धारा 60 आब0अधि0 थाना कोतवाली गोरखपुर
 10- मु0अ0सं0 274/2024 धारा 331(4)/305ए/317(2)/317(4) बी0एन0एस0 थाना अहिरौली बाजार कुशीनगर
 11- मु0अ0सं0 290/2024 धारा 457/380/411/413 भादवि थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण-

चोरी/नकबजनी के भिन्न भिन्न मुकदमों से सम्बन्धित माल 01 अदद अँगूठी पीली धातु, 02 अदद कान की बाली पीली धातु, 02 अदद झुमका पीली धातु, 01 अदद मंगलसूत्र लाकेट पीली धातु, 01 अदद लाकेट पीली धातु (ओम लिखा हुआ), 01 अदद चैन पीली धातु, 01 जोड़ी पायल सफेद धातु, 01 जोड़ी कड़ा सफेद धातु व 1,54,000 (एक लाख चौव्वन हजार रूपये नगद) तथा जामा तलाशी से 03 अदद मोबाइल, 01 अदद घटना में प्रयुक्त लोहा काटने वाली आरी, 01 छिनी, 01 अदद पेचकस

गिरफ्तार करने वाले टीम-

01. प्र0नि0 श्री रवि कुमार राय थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
02. स्वाट टीम प्रभारी उ0नि0 श्री आलोक कुमार जनपद कुशीनगर
03. व0उ0नि0 प्रियांशु राय थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
04. उ0नि0 शरद भारती प्रभारी सर्विलांस जनपद कुशीनगर
05. उ0नि0 विनोद सिंह थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
06. उ0नि0 उमेश कुमार थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
07. उ0नि0 शिवकुमार शर्मा थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
08. प्रशिक्षु उ0नि0 शुभम कुमार भार्गव थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
09. हे0कां0 सुशील सिंह सर्विलांस सेल जनपद कुशीनगर
10. हे0कां0 समी सर्विलांस सेल जनपद कुशीनगर
11. हे0कां0 अभिषेक सर्विलांस सेल जनपद कुशीनगर
12. कां0 अनिल कुमार यादव थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
13. का0 सुनील कुमार थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
14. का0 मनोज सिंह यादव थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
15. हे0का0 सनातन सिंह स्वाट टीम पडरौना जनपद कुशीनगर
16. हे0का0 संतोष सिंह स्वाट टीम पडरौना जनपद कुशीनगर
17. हे0का0 रणजीत यादव स्वाट टीम पडरौना जनपद कुशीनगर
18. हे0का0 राहुल सिंह स्वाट टीम पडरौना जनपद कुशीनगर
19. हे0का0 संदीप भाष्कर स्वाट टीम पडरौना जनपद कुशीनगर

20. का0 शिवानन्द सिंह स्वाट टीम पडरौना जनपद कुशीनगर

21. का0 ऋषिपटेल स्वाट टीम पडरौना जनपद कुशीनगर

थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा हत्या के मुकदमें 01 नफर बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.07.2024 को थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा मु0अ0स0 268/2024 धारा 302/34 भादवि से सम्बन्धित 01 नफर बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 268/2024 धारा 302/34 भादवि थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर

पुलिस अभिरक्षा में बाल अपचारी-

एक बाल अपचारी

पुलिस अभिरक्षा में लेने वाली टीम:-

01. थानाध्यक्ष राजकुमार बरवार थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर ।

02. का0 इतेश कुमार थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर ।

03. का0 रितेश यादव थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर ।

04. का0 भगवती दत्त यादव थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर ।

थाना रविन्द्रनगर धूस पुलिस पुलिस द्वारा 04 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.07.2024 को थाना रविन्द्रनगर धूस पुलिस द्वारा 1.मु0नं0-13029/2022 धारा 323,504 भादवि से सम्बन्धित वारण्टी राम अवध सिंह पुत्र विन्ध्यांचल सिंह सा0 रामपुर थाना को0 पडरौना वर्तमान (थाना रविन्द्रनगर धूस)जनपद कुशीनगर, 2.मु0नं0-3289/2018 धारा 323,504,427 भादवि थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित वारण्टीगण गुलाब पुत्र किताब, अमरुद्दीन पुत्र गुलाब साकिनान चौराखास बांसगांव थाना को0 पडरौना (वर्तमान थाना रविन्द्रनगर धूस) जनपद कुशीनगर व 3.मु0नं0-2504/2000 धारा 382 भादवि थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित वारण्टी परशुराम पुत्र बाबूलाल सा0 गनेशी पट्टी थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पंजीकृत अभियोग-

1.मु0नं0-13029/2022 धारा 323,504 भादवि

2.मु0नं0-3289/2018 धारा 323,504,427 भादवि

3.मु0नं0-2504/2000 धारा 382 भादवि

गिरफ्तार वारण्टीगण-

- 1.राम अवध सिंह पुत्र विन्ध्यांचल सिंह सा0 रामपुर थाना थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर
- 2.गुलाब पुत्र किताब सा0 चौराखास बांसगांव थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर
- 3.अमरुद्दीन पुत्र गुलाब सा0 चौराखास बांसगांव थाना थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर
4. परशुराम पुत्र बाबूलाल सा0 गनेशी पट्टी थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाले टीम का नाम:-

01. थानाध्यक्ष श्री विनय कुमार मिश्र थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर ।
02. उ0नि0 श्री राहुल कुमार राय थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर ।
03. उ0नि0 श्री गनेश प्रजापति थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर ।
04. हे0का0 चन्द्रजीत यादव थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर ।
05. का0 मदनलाल यादव थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर ।
06. का0 वरुण यादव थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर ।
07. का0 वीरेन्द्र कुमार मौर्य थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर ।
08. का0 जगमोहन यादव थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर ।

थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.07.2024 को थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा मु0नं0 1560/16 धारा 127ए व 2/3 लोक संपत्ती अधिनियम से सम्बन्धित वारण्टी परमेश्वर कुशवाहा पुत्र छेदी साकिन नौरंगिया थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0नं0 1560/16 धारा 127ए व 2/3 लोक संपत्ती अधिनियम

गिरफ्तार वारण्टी-

परमेश्वर कुशवाहा पुत्र छेदी साकिन नौरंगिया थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री हर्षवर्धन सिंह थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 श्रवण कुमार यादव थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
3. का0 रमेश चन्द्र चौधरी थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
4. का0 रोहित सरोज थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर

थाना तरया सुजान पुलिस द्वारा, तस्करी कर वध हेतु बांधे गये 03 राशि गोवंश के साथ एक नफर अभियुक्त को, किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में गोवंश की तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.07.2024 को थाना तरया सुजान पुलिस द्वारा एक नफर अभियुक्त मनीब शाह पुत्र खलिल शाह निवासी तरया हरिकेश थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 03 राशि गोवंश जिन्हे वध हेतु तरया हरिकेश दुर्गा मन्दिर के पास स्थित बाग में बुरी तरह से बाध कर रखा था, बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 239/2024 धारा 3/5ए/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 239/2024 धारा 3/5ए/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

मनीब शाह पुत्र खलिल शाह निवासी तरया हरिकेश थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण:-

03 राशि गोवंशीय पशु (01 राशि बछिया व 02 राशि बछड़ा)

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

01. प्र0नि0 आशुतोष सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
02. उ0नि0 महिपाल चौहान थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
03. का0 आनन्द कुमार थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
04. का0 कुन्दन कुमार सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
05. का0 जयप्रकाश कुमार थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

थाना तुर्कपट्टी पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त को एक अदद पिकप से तस्करी कर वध हेतु ले जायी जा रही 02 राशि गोवंश के साथ किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में गोवंश की तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.07.2024 को थाना तुर्कपट्टी पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त को एक अदद पिकप वाहन से तस्करी कर वध हेतु ले जायी जा रही 02 राशि गोवंश के साथ गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 210/2024 धारा 3/5A/8 गो0नि0 अधि0 व धारा 11 पशु क्रूरता अधि0

गिरफ्तार अभियुक्त-

इरशाद आलम पुत्र बाबू जान मिया पता ओझचडी सनाउल थाना गोपालपुर जिला गोपालगंज बिहार

बरामदगी का विवरण-

01. अत अदद पीकप वाहन सं0 UP 57 BT 1910

02. 02 राशि गोवंश

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. थानाध्यक्ष संजय कुमार थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
2. व0उ0नि0 राजेश गौतम थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
3. प्रशि0उ0नि0 संतोष कुमार थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
4. हे0का0 संजय कुमार थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
5. का0 राजेश गुप्ता का0 राहुल प्रशाद थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 89नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-00वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-39,व्यक्ति-119
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(09)
- 4-जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-98)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर